AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेस नोट थाना न्यू आगरा जनपद आगरा। दिनांक 21.07.2022

एसओजी टीम, सीआईडब्ल्यू टीम, सर्विलासं व थाना पुलिस टीम के संयुक्त ऑपरेशन द्वारा अत्यन्त कठिन परिश्रम उपरान्त पेशी के दौरान दीवानी परिसर से शातिर अभियुक्त को छुड़ाकर ले जाने वाली घटना में संलिप्त 25–25 हजार रूपये के दो ईनामी अभियुक्तगण को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमन्चा मय 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस एवं मोटरसाइकिल बरामद.....

दिनांक 13.07.2022 को चौकी प्रभारी दीवानी आगरा कचहरी परिसर में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त थे। दोपहर को हवालात न्यायायल पर नियुक्त आरक्षी द्वारा मोबाइल के माध्यम से सूचना दी गयी कि सेशन हवालात से पेशी हेतु भेजा गया अभियुक्त विनय श्रोतिया पेशी पर जाने के दौरान ड्यूटीरत मुख्य आरक्षी अनुज प्रताप सिंह को घायल कर अपने दो तीन साथियों की मदद से फरार हो गया है। इस सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण को सूचित करते हुए चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। मुख्य आरक्षी से पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि मैं अभियुक्त विनय श्रोतिया को अपनी अभिरक्षा में कोर्ट में पेशी हेतु ले गया था। पेशी पर जाते समय उसके दो–तीन साथी ईंट से प्रहार कर मुझे घायल करते हुए अभियुक्त विनय को लेकर फरार हो गये। इस सम्बन्ध में थाना न्यू आगरा पर मु0अ0सं0 237/22 धारा 223/224/225/332 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त संवेदनशील घटना की सूचना मिलने के उपरान्त तत्काल श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा मय अन्य अधिकारीगण के मौका मुआयना किया गया एवं अभियुक्तगण की त्वरित गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत के सफल पर्यवेक्षण में एसओजी, सीआईडब्ल्यू, प्रभारी न्यू आगरा सहित अन्य टीमें गठित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम दिनांक 20.07.2022 को एसओजी, सीआईडब्यू व थाना पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र खन्दारी में गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि उपरोक्त अभियोग में वांछित 25–25 हजार रूपये के इनामी अभियुक्तगण राहुल कश्यप व पिन्टा उर्फ शिवराम गाँव लालगढ़ी में छिपे हुए हैं एवं मुख्य रास्ते से न जाकर लालगढ़ी से खासपुरा की तरफ जाने वाले रोड से कमलानगर होकर फिरोजाबाद की ओर जाने की फिराक में हैं, यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किये जा सकते हैं।

उपरोक्त प्राप्त सूचना पर अन्य टीमों को अवगत कराते हुए पुलिस टीमें मुखबिर द्वारा बताये के पास छिप गयीं। कुछ समय बाद लालगढ़ी की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुयी दिखायी दी। पुलिस टीम द्वारा पास आने का इन्तजार किया गया। मोटरसाइकिल पास आने पर पुलिस टीम बाहर निकल आयी और रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम को देख मोटरसाइकिल सवार सकपका गये और मोटरसाइकिल की स्पीड बड़ाकर भागने का प्रयास करने लगे एवं भागते हुए जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किये। पुलिस टीम द्वारा अन्यन्त सतर्कता से अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा अत्यन्त साहस का परिचय देते हुए चारों ओर से घेरकर दोनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद तमन्चा मय 04 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लैण्डर बरामद हुयी।

पूछताछ का विवरण :—

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम राहुल कश्यप व पिन्टा उर्फ शिवराम बताया गया। घटना के सम्बन्ध में बताया गया कि दिनांक 13.07.2022 को अभियुक्त विनय श्रोतिया को हमने पुलिस कस्टडी से भगाया था। मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में पिण्टा द्वारा बताया गया कि यह मोटरसाइकिल मेरे गांव के एक व्यक्ति की है, जिसे मैं मांगकर लाया हूं। अभियुक्त विनय श्रोतिया के सम्बन्ध में बताया कि उस पर 04 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं और उसकी जमानत नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह भागना चाह रहा था।

राहुल कश्यप द्वारा घटना के विवरण के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया कि मैं पूर्व में भी जेल गया था, जहाँ मेरी मुलाकात विनय श्रोतिया से हुई थी फिर मैं जमानत पर बाहर आ गया। मैं पिन्टा उर्फ शिवराम यादव, सोनू कुशवाह व छोटे उर्फ ऋषभ के साथ—साथ विनय श्रोतिया से भी मिलने उसकी कई तारीख से दीवानी आता था व जेल में भी मैं विनय श्रोतिया से मिलाई करने जाता था, जहां पर हम दोनो ने भागने की योजना बनी थी। हर मिलाई पर विनय श्रोतिया मुझे दो—तीन हजार रूपये खर्चे के लिये देता था तथा वह जेल से मैसेन्जर काल व पीएनटी काल करके मुझे अपनी तारीख पर आने के लिए कहता था। हम पैसों के लालच में तारीख पर उससे मिलने आते थे। पिछले कई तारीख से वह जेल से भागने की कह रहा था। पिछली तारीख पर भी उसने हमें जेल से भगा कर ले चलने के लिए कहा था लेकिन हमने मना कर दिया था। विनय श्रोतिया ने हमको ढाई लाख रूपये देने के लिए कहा था जिससे हम लालच में आ गये।

पूर्व निर्धारित योजना के तहत दिनांक 13.07.2022 को जब वह पेशी पर आया तो हम पिन्टा उर्फ शिवराम यादव, सोनू कुशवाह व छोटे उर्फ ऋषभ राजपूत दीवानी गेट नम्बर 01 पर हवालात के पास मौजूद थे, जैसे ही विनय श्रोतिया को पेश करने के लिये पुलिसवाला लेकर चला तो विनय श्रोतिया ने सोनू कुशवाह के कान में कहा कि मो0सा0 को गेट नं0 04 पर ले आओ, जिस पर पिन्टा उर्फ शिवराम यादव मो0सा0 को गेट नम्बर 04 पर ले आया तथा विनय श्रोतिया पुलिसवाले को गच्चा देकर मो0सा0 पर आकर बैठ गया तथा मैं उसके पीछे बैठ गया। हम उसको कहे अनुसार भदावर हाउस से एस.आर.के मॉल वाले रास्ते से सिकन्दरा से राया फाटक होते हुए बम्बे के साहरे लिंक रोड होते हुए गुड्डू पहलवान के घर जनपद मथुरा पहुँचे, जहाँ पर उसके पिता ने कहा कि गुड्डू पहलवान फरारी काट रहा है तो हम तीनों लोग तुरन्त वहां से निकल गये और आगे चलकर गुड्डू पहलवान के दोस्त हरिदास,

जो की पूर्व में लूट के मामले में जेल जा चुका है, के यहाँ पहुँचे। वहां पर विनय श्रोतिया ने हरिदास के फोन से किसी को फोन भी किया। हरिदास ने कहा कि मेरी गुड्डू पहलवान से खटपट हो गयी है तो पुनः हम लोग वहां से भी तुरन्त निकल गये। उसके बाद आगे चलकर एक गाँव में पहुँचे, जिसे विनय श्रोतिया जानता है हम लोग नही जानते है। जिसके यहां रात्रि में हम रुके थे, उसको विनय श्रोतिया चौधरी–चौधरी कहकर बुला रहा था और अपना नाम राजेश यादव बताया था। जिसके यहा पर हम रूके थे उसका छोटा भाई धारा 376 भादवि में जेल काट चुका है इसी कारण विनय श्रोतिया उसको जानता था लेकिन वह नही मिला था। उसके बडे भाई अपना गलत नाम पता बताकर रात भर उसके घर रूके थे और सुबह जल्दी उठकर निकल गये। उसके बाद सासनी के पास एक गाँव में जहां से भोलेबाबा का कार्यक्रम करीब 01 कि0मी0 दूर हो रहा था, वहां पर विनय श्रोतिया हम दोनो को बैठाकर अकेले कही गया और दो तमंचे 315 बोर के व 06 अवैध कारतूस 315 बोर लेकर आया और हम दोनो को दे दिये थे, जो कि हमसे बरामद हुए है। उसके बाद हम मथुरा में गोवर्धनजी मार्ग रात्रि विश्राम किया और फिर अगले दिन सुबह खन्दौली होते हुए बरहन तथा वहां से शिकोहाबाद पहुँचे, जहाँ पिन्टा के भाई के साले के पास हम दोनो को छोडा तथा विनय श्रोतिया कहीं चला गया जहां से वह दो घण्टे बाद नहा धोकर व कपडे बदलकर आया था। इसके बाद हम तीनों मो0सा0 से ही फरिहा होते हुए अवागढ पहुँचे, जहाँ चौराहे से 100 मीटर पहले एच.पी पैट्रोल पम्प के बगल में गली पर उतार दिया, जहाँ विनय श्रोतिया ने मुझे 18,000 रूपये दिये तथा बाकी रूपये बाद में देने के लिये बोला और विनय श्रोतिया को छोडकर हम दोनो लोग पैट्रोल पम्प से पैट्रोल भरवाकर फिरोजाबाद की तरफ आ गये, जहाँ पर हम जगह बदल बदल कर रहते थे। विनय श्रोतिया द्वारा दिये गये रूपयो में से कुछ रूपये खर्च हो गये तथा कुछ मैने अपनी माँ को दे दिये जिससे मेरी माँ मेरी पैरवी कर रही थी व मेरी भाभी व मेरा भाई सिन्कू उर्फ पुष्पेन्द्र व मेरे भाई सिन्कू के साले का दामाद दयाकिशोर व मेरे मामा का लडका पूरन सिंह व अशोक, रवि यादव द्वारा हमारे लिये खाने पीने की व रूकने की व्यवस्था की जाती थी। विनय श्रोतिया को भी उपरोक्त व्यक्तियो द्वारा खाने पीने की सामग्री रूपये की व्यवस्था की गयी थी। मेरी माँ मीरा मेरी पैरवी करती है तथा वह लगातार मेरे सम्पर्क में रही तथा मुझे रास्ता बताती रही कि अब क्या करना है पूरन सिंह मेरे मामा का लडका हमारे लिये खाना पहुँचाता था जहां भी हम रूके होते थे। इस दौरान हम मामा अशोक के घर भी रूके थे।

आज हम कही भागने की फिराक में थे क्योकि फिरोजाबाद में पुलिस हमारे पीछे लगी थी। इस कारण हम यहा अपने दोस्त से मिलकर दूर भागने की फिराक में था आगरा से भागने के बाद नीरज व मुन्नेश द्वारा भी हमारी मदद की गयी थी। ये लोग फोन द्वारा भी हमको पुलिस तथा अन्य के बारे में बता देते थे।

अभियुक्तगण का नाम :–

01. राहुल कश्यप पुत्र किशोरी लाल नि0 इन्द्रपुरी जलेसर रोड जनपद फिरोजाबाद।

02. पिन्टा उर्फ शिवराम यादव मिन्टा यादव पुत्र राजकुमार नि0 दौलतपुर थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी का विवरण :—

01. 02 अदद तमन्चा मय 04 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद
02. मोटरसाइकिल सुपर स्प्लैण्डर।

आपराधिक इतिहास का विवरण :—

अभियुक्त राहुल कश्यप

1. मु0अ0सं0 402/16 धारा 398/402 भादवि थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 403/16 धारा 411/413/414 भादवि थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
3. मु0अ0सं0 600/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
4. मु0अ0सं0 230/16 धारा 379/411 भादवि थाना नारखी फिरोजाबाद।
5. मु0अ0सं0 274/16 धारा 379/411 भादवि थाना नारखी फिरोजाबाद।
6. मु0अ0सं0 347/22 धारा 147/149/307/354/386/427/504/506/120बी भादवि व 3(2)अ एससी एसटी एक्ट थाना नारखी फिरोजाबाद।
7. मु0अ0सं0 107/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना दक्षिण फिरोजाबाद।
8. मु0अ0सं0 472/18 धारा 398/401 भादवि थाना दक्षिण फिरोजाबाद।
9. मु0अ0सं0 1064/17 धारा 366 भादवि थाना दक्षिण फिरोजाबाद।
10. मु0अ0सं0 1146/16 धारा 394 भादवि थाना दक्षिण फिरोजाबाद।
11. मु0अ0सं0 1251/16 धारा 307/394 भादवि थाना दक्षिण फिरोजाबाद।
12. मु0अ0सं0 426/17 धारा 392/411 भादवि थाना दक्षिण फिरोजाबाद।
13. मु0अ0सं0 862/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रसूलपुर जिला फिरोजाबाद।
14. मु0अ0सं0 237/22 धारा 223/224/225/332 भादवि थाना न्यू आगरा जनपद आगरा।

अभियुक्त शिवराम उर्फ पिन्टा

01. मु0अ0सं0 237/22 धारा 223/224/225/332 भादवि थाना न्यू आगरा जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 344/19 धारा 392/411 भादवि थाना फिरोजाबाद नोर्थ जनपद आगरा।
03. मु0अ0सं0 488/19 धारा 392/411 भादवि थाना फिरोजाबाद नोर्थ जनपद आगरा।
04. मु0अ0सं0 502/21 धारा 307/399/402 भादवि थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

पुलिस टीम का विवरण :—

01. निरीक्षक श्री कुलदीप दीक्षित प्रभारी एसओजी टीम जनपद आगरा।
02. प्रभारी निरीक्षक श्री विजय विक्रम सिंह थाना न्यू आगरा जनपद आगरा।
03. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार प्रभारी सीआईडब्ल्यू टीम जनपद आगरा।
04. उ0नि0 श्री सचिन धामा प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद आगरा।
05. व0उ0नि0 श्री दीपक चन्द्र दीक्षित थाना न्यू आगरा जनपद आगरा।
06. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना न्यू आगरा जनपद आगरा।
07. उ0नि0 मोहित कुमार थाना न्यू आगरा जनपद आगरा।
08. का0 बलिराम पाल, का0 विकास कुमार थाना न्यू आगरा जनपद आगरा।

09. है0का0 बीरेन्द्र सिंह, है0का0 सूर्यप्रताप सिंह, है0का0 आशीष शुक्ला, का0 वसीम अकरम, का0 लोकेश कुमार, का0 विपिन कुमार, का0 मुकुल शर्मा, का0 मानवेन्द्र सिंह, का0 राकुल एसओजी टीम जनपद आगरा।

10. है0का0 आदेश त्रिपाठी, है0का0 अरूण कुमार, है0का0 ऋषि कुमार, क0ऑ0 आशीष शाक्य, का0 अजीत, का0 राजकुमार, का0 रुस्तम सागर, का0 शुभम सारस्वत, का0 पंकज कुमार सर्विलांस टीम जनपद आगरा।

11. है0का0 रामवीर सिंह, है0का0 अरविन्द राना, का0 ऋषि कुमार, का0 हरेन्द्र सिंह, का0 सन्दीप मिश्रा सीआईडब्ल्यू टीम जनपद आगरा।

सहयोगी टीम :–

01. निरीक्षक श्री रवि त्यागी प्रभारी एसओजी मय टीम जनपद फिरोजाबाद।
02. उ0नि0 शरद दीक्षित थाना बरहन जनपद आगरा।
03. थानाध्यक्ष श्री हरवेन्द्र मिश्रा मय टीम थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
03. का0 विजय कुमार, का0 अंकुश कुमार, का0 आयुष चौधरी थाना बरहन जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।